



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।


जमा 21610/12/21

B-5-21

प्राधिकरण द्वारा किराये पर आवंटित सम्पत्तियों के किरायेदारों हेतु आवश्यक सूचना

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भवन/पलैट एवं दुकानें प्रतिमास किराये के आधार पर काफी पूर्व वर्षों में दी गयी थीं। किरायेदारों को प्रतिमास समय से किराये की धनराशि नियमानुसार प्राधिकरण कोष में जमा करानी थी, किन्तु किरायेदारों द्वारा प्राधिकरण की देय किराये की धनराशि जमा नहीं की गयी है, जिसके कारण उक्त मद में काफी धनराशि बकाया है। धनराशि जमा कराने हेतु समय-समय पर सम्बन्धितों को कई बार सूचित भी किया जा चुका है, किन्तु फिर भी धनराशि जमा नहीं हुई है। मौके से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ किरायेदारों द्वारा सम्पत्ति का हस्तान्तरण अन्य को नियम विरुद्ध कर दिया गया है अर्थात् शिकमी किरायेदार रख दिये गये हैं, जो कि पूर्णत अवैध काविजदार की श्रेणी में आते हैं तथा कुछ सम्पत्तियाँ निरीक्षण में मौके पर रिक्त/अनुपयोगी पड़ी हैं।

अतः प्राधिकरण के समस्त किरायेदारों/लाईसेन्सीयों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह किराये की सम्पत्ति से सम्बन्धित देय समस्त बकाया धनराशि दिनांक 15.06.2021 तक प्रत्येक दशा में प्राधिकरण कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। शिकमी किरायेदार काविज होने की दशा में उन्हें अवैध काविजदार मानते हुये बेदखली की कार्यवाही की जायेगी तथा वर्तमान तक की देय किराये की धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से आर0सी0 भेजकर की जायेगी, जिस पर 10% वसूली व्यय अतिरिक्त देय होगा।


13/05/21
विशेष कार्याधिकारी